फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती मोनिका खटीक**
किस्म मुकदमा :– O47R1,2 CPC

विपक्षी :– **राज्य**
पत्रावली संख्या :– **29/22 वाद**
जीसीएमएस नम्बर :– **2022/121**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 एवं धारा 114 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.12.2021 को निस्तारण करते हुए खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुना नही गया, जबकि प्रार्थीगण को सुनना चाहिए था एवं विवादित विषय वस्तु पर गवाह के बयान कलमबद्ध करने के बाद विधि अनुसार निर्णित करना चाहिए था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत था। जो समरी ट्रायल का प्रकरण था। इसमें बयान गवाह की आवश्यकता नही होती है। प्रार्थीगण को सुना नही गया यह कथन माने जाने योग्य नही है, क्योंकि निर्णय दिनांक 21.12.2021 में स्पष्ट अंकित है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि प्रकरण को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.12.2021 को गुणावगुण पर निस्तारित करते हुए खारिज किया गया। उक्त निर्णय को अपास्त करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय का नही होकर अपील न्यायालय का है। पूर्व में पारित निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील ही की जा सकती है। प्रार्थीगण यदि पूर्व में दिनांक 21.12.2021 को पारित किए गए निर्णय से असंतुष्ट थे तो उन्हे सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 एवं धारा 114 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज योग्य पाया जाता है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 एवं धारा 114 सिविल प्रक्रिया संहिता का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Singh Punadia Date: 2025.10.24 16:34:02 IST Reason: SelfAttested **(रमेश सिंह पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	